न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 22/2019 (उदयपुर डिक्री)

हरिसिंह पिता राजींग जी खरवड़, जाति राजपूत, निवासी ईसवाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, फास्टट्रेक गिर्वा
दिनांक 11.05.2017, प्र.सं. 8/2015

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री जी. एस. मेहता अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 03–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईसवाल में पूर्व आराजी नंबर 376 जिसमें रकबा 1137½ मुरब्बागज हाल आराजी न ंबर 389 रकबा 0.0400 हैक्टर स्थित है, उसमें 70 गज चौड़ा व 65 गज लम्बा कुल 1137½ मुरब्बागज जिसे वादी द्वारा श्री कृष्ण भण्डार नाथद्वारा से दिनांक 23–08–1949 से जरिये पट्टा प्राप्त कर कब्जा प्राप्त किया गया है, तब से वादी निरन्तर काबिज होकर मवेशी बांधकर बाड़े के रूप में उपयोग करता चला आ रहा है। वादी का 65 वर्षो से निरन्तर कब्जा है। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11–05–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15–05–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन देरी के कारणों को उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया एवं ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत में करीब 1 वर्ष 10 माह का विलम्ब हुआ है, किन्तु प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि उसे श्री कृष्ण भण्डार नाथद्वारा द्वारा विवादित भूमि का पट्टा दिया गया है, जिसके आधार पर वह 70 वर्षो से काबिज है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि राजस्व रेकार्ड में भूमि बिलानाम दर्ज है एवं वादी/अपीलान्ट के नाम विवादित भूमि कभी भी दर्ज नहीं रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि विवादित भूमि हाल जमाबन्दी में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। उक्त भूमि कभी भी अपीलान्ट के नाम दर्ज रही हो ऐसी कोई साक्ष्य उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। जहां तक श्री कृष्ण भण्डार द्वारा पटटा दिये जाने का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् एक लिखतम प्रस्तुत

की गयी है, किन्तु तत्समय श्री कृष्ण भण्डार को पट्टा देने का अधिकार था अथवा नहीं इस बाबत उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि राजस्व कैम्प में निर्णय पारित किया है, किन्तु हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त तथ्यों का विवेचन करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–05–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

हरिसिंह पिता राजींग जी खरवड़,
जाति राजपूत, निवासी ईसवाल,
तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,
बड़गांव, जिला उदयपुर

अपील नं.....**22 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**फास्ट ट्रेक गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**11**.....माह.....**05**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**03**....माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री जी. एस. मेहता**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पंकज भटनागर**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–05–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**03**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:46:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: